



कुँवर सिंह महाविद्यालय

लहेरियासराय, दरभंगा

(ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा की अंगीभूत इकाई)

(स्था0-1970)

233672 (का0)
:06272 233229 (आ0)



प्राचार्य

ज्ञाप संख्या 178/KSC/23

तिथि 09.09.2023

सूचना

महाविद्यालय में सुरक्षा प्रहरी/आकस्मिक मजदूर की आवश्यकता है। अतएव इच्छुक संस्था निबंधित डाक द्वारा सीलबंद लिफाफे में 90 (दस) दिनों के अन्दर अपना निविदा महाविद्यालय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय वेबसाइट <http://ksclnmu.ac.in> पर देखें।

[Handwritten Signature]
09/09/23
प्रधानाचार्य
09/09/23



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा-846004

अधिसूचना

श्रम संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०- 3143, दिनांक 31.08.2022 के अनुसार वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.10.2022 की मद सं०- 04 के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने वाले आकस्मिक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी अभिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से माह अक्टूबर, 2022 के प्रभाव से कुशल एवं अतिकुशल मजदूरों को क्रमशः न्यूनतम 463 रु० एवं 566 रु० प्रतिदिन भुगतेय होगी।


माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।
ह०/-
कुलसचिव


ज्ञापांक: C/DR-I/17291-381/22

दिनांक: 04/11/2022

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी पदाधिकारीगण, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
3. सभी प्रधानाचार्य, अंगीभूत महाविद्यालय, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. गार्ड फाईल, स्थापना शाखा, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।


कुलसचिव


03/11/2022

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस0 ओ0- दिनांक- पटना, दिनांक-
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंग फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2021	122.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8072.69
अगस्त, 2021	123.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8085.84
सितम्बर, 2021	123.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8105.56
अक्टूबर, 2021	124.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8210.75
नवम्बर, 2021	125.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8263.34
दिसम्बर, 2021	125.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8243.61
योग :-			48981.79

वर्ष 2021 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत - $48981.79 \div 6 = 8163.63$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या - 2847, 2848 दिनांक- 31.03.2021 गजट सं०-833 दि०-30.09.2021	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य		69- अनुसूचित नियोजन

- (1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्पनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) घर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग

- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
 (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
 (26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28)
 डलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) विस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग
 (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35)
 डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट
 छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के
 निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल
 (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47)
 ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग
 (स्वचालित दूकान को छोडकर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई
 कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज
 (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य
 (खादान को छोडकर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय
 शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स
 एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक मट्टे (63)
 कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग
 (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
 (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II


क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक— 01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017 + 01.04.2018 + 01.10.2018 + 01.04.2019 + 01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 +01.04.2021+ 01.10.2021 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक— 01.04.2022 से प्रभावी होगी	01.04.2022 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00+12.00+2.00=306.00	12.00	318.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00+12.00+2.00=318.00	12.00	330.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00+15.00+3.00=388.00	15.00	403.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00+19.00+4.00=474.00	18.00	492.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00+340.00+68.00=8771	340.00	9111.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम

मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2021 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2022 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-992)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक पटना, दिनांक-
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-992)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।